Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education

Vol. IX, Issue No. XVIII, April-2015, ISSN 2230-7540

UN के संदर्भ में सुरक्षा परिषद् की वीटो शक्ति का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

AN INTERNATIONALLY INDEXED PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL

www.ignited.in

Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. IX, Issue No. XVIII, April-2015, ISSN 2230-7540

UN के संदर्भ में सुरक्षा परिषद् की वीटो शक्ति का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

Amit Kumar*

Research Scholar, Department of Political Science

***शोधसार** - UN की स्थापना अक्टूबर 1945 को हुई थी। उसकी स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति-व्यवस्था को बनाए रखना था। ताकि विश्व में भविष्य में युद्धों को रोका जा सके। इस काम को सुचारू रूप से करने के लिए यह उत्तरदायित्व UN की सुरक्षा परिषद को सौंपा गया। जिसमें 5 स्थायी सदस्यों की नियुक्ति की गई और उन्हें वीटो पॉवर भी प्रदान की गई। लेकिन वीटो पॉवर देशों से अपने राजनीतिक फायदे के लिए इसका बहुत बार गलत तरीके से प्रयोग किया गया। वर्तमान में आज कई देश वीटो पॉवर या सुरक्षा परिषद् में लगातार सुधार की माँग कर रहे है। जिनमें भारत का भी नाम लिया जा सकता हैं भारत ने सुरक्षा परिषद में अपनी स्थायी सदस्यता के लिए G.4 समुह का भी निर्माण किया है।*

***मुख्य शब्द** - वीटो, पॉवर (निषेधाधिकार), G.4 शक्ति-संतुलन, शीत युद्ध।*

----------X----------

परिचयः-

UN की सुरक्षा परिषद् की रचना का वर्णन इसके चार्टर की धारा 23 में किया गया है जिसमें वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 15 हैं जिसमे 10 अस्थायी सदस्य है एवं 5 सदस्य स्थायी है जिसमें (UN रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन) का नाम लिया जा सकता है। सुरक्षा परिषद् को विश्व में शांति व्यवस्था को बनाए रखना एवं सामाजिक विकास के लिए अपना योगदान देने के लिए बनाया गया हैं लेकिन विश्व में आज भी सुरक्षा परिषद् में वीटो पावर देशो द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों को अपने राजनीतिक स्वार्थो के लिए पास करने या न करने के लिए प्रयोग किया जाता है।

शोध प्रविधिः-

प्रस्तुत शोध पत्र में ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, व्याख्यात्मक, वर्णनात्मक दृष्टिकोण का प्रयोग किया गया है। यह शोध द्वितियक आंकड़ो पर आधारित है। इसके लिए पुस्तकों, इंटरनेट आदि का भी सहारा लिया गया है।

शोध के उद्देश्यः-

1. UN के बारे में जानना।
2. सुरक्षा परिषद् के बारे मे जानना।
3. वीटो पॉवर के बारे में बताना।
4. वीटो पॉवर के दुष्प्रभाव को जानना।

वीटो पॉवर

वीटो पॉवर एक प्रकार से सुरक्षा परिषद् में तब प्रयोग किया जाता है जब किसी प्रस्ताव को पास होने से रोकना हो। अगर किसी प्रस्ताव को सुरक्षा परिषद् के 15 में से 14 सदस्य पास कर देते हैं लेकिन एक सदस्य जिसके पास वीटोपावर है वह उसका प्रयोग कर देता है तो वह प्रस्ताव पास नहीं हो पाता हैं। वीटो पॉवर का प्रयोग महाशक्तियों के द्वारा बार-बार प्रयोग किया जाता रहा है इसकी शुरूआत द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होते ही शुरू हो गई थी। उस समय विश्व में शीत युद्ध चल रहा था।

www.ignited.in

तब से लेकर आज तक वीटो पावर का बहुत बार प्रयोग किया जा चुका है। सोवियत संघ ने सबसे ज्यादा 106 बार इसका प्रयोग किया हैं ब्रिटेन ने 29 व चीन ने 11 व फ्रांस ने 16 बार इसका प्रयोग किया है। वीटो पॉवर के कारण सुरक्षा परिषद् कई बार विश्व मे शांति व्यवस्था को बनाए रखने में सफल भी नहीं हो पाती हैं। 1950 में जब उतरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला बोल दिया था। तब सुरक्षा परिषद् में उतरी कोरिया के विरूद्ध प्रस्ताव पास नहीं हो पाया था। इसके पीछे वीटो पॉवर ही कारण था। इस स्थिति से बचने के लिए महासभा ने पहल करते हुए (शांति के लिए एकता प्रस्ताव 1950 लाकर इस स्थिति पर नियंत्रण करने का प्रयास किया था।

विश्व के कुछ विचारको ने UN की सुरक्षा-परिषद् में वीटो पॉवर को सही माना है। जिनके बारे में वे निम्न तर्क देते हैं।

1. अन्तर्राष्ट्रिय शांन्ति व सुरक्षा के लिए वीटो पावर जरूरी है।
2. किसी एक स्थायी देश की निरंकुशता को रोकने के लिए आवश्यक।
3. विश्व में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक।

लेकिन इन विचारको की बातों से कुछ विद्वान सहमत नहीं है वे नही चाहते है कि न्छ की सुरक्षा परिषद् मे किसी भी देश के पास वीटो पॉवर नहीं होना चाहिए। इसके लिए कुछ तर्क भी दिए है-

1. वीटो पॉवर समानता के सिद्धान्त के विरूद्ध मानी जाती है
2. सामूहिक सुरक्षा की भावना की अवहेलना करती है।
3. शीघ्र कारवाई करने में रूकावट पैदा करती है।
4. नए सदस्यो को UN में शामिल होने के लिए समस्या
5. गुटबाजी को प्रोत्साहन दिया जाता है।

इस तरह से सुरक्षा परिषद् में वीटो पॉवर को लेकर विचारको में आपस में मतभेद पाए जा सकते है। फिर भी वीटो पॉवर का प्रयोग तभी करना चाहिए जिससे विश्व में शांति व्यवस्था को यदि कोई खतरा पहुंचता हो। यदि कोई प्रस्ताव साधारण विषय का है तो उस पर वीटो पॉवर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वीटो पॉवर को लेकर विश्व की सरकारों को भी अपने उतरदायित्व का सही रूप में पालन करना होगा। जो देश अपने राजनीतिक स्वार्थो के लिए बार-बार वीटो पॉवर का प्रयोग कर रहा है उस देश पर UNO के तहत कार्यवाही करनी चाहिए। UNO में कोई नया देश शामिल होना चाहता है तो यह अधिकार महासभा के पास होना चाहिए कि वह उसे शामिल करे या न करे। यदि कोई वीटो पॉवर देश उस देश के शामिल होने के प्रस्ताव पर वीटो पॉवर का प्रयोग कर देता है। अंत में हम कह सकते हैं कि सुरक्षा परिषद् में वीटो पॉवर के बढ़ते दुरूपयोग को रोकना चाहिए। ताकि विश्व में सभी देशो को समानता के अधिकारों को प्रदान किया जा सके।

निष्कर्षः-

UN के संदर्भ में सुरक्षा परिषद की वीटो शक्ति का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि न्छ में वीटो पॉवर का लगातार दुरूप्रयोग किया गया है इसलिए इसको रोकने के लिए UN के चार्टर में सशोधन करते हुए ऐसे प्रस्ताव पास करवाने चाहिए जिससे कि इसके दुरूपयोग को रोका जा सके। अंत में हम कह सकते हैं कि UNO की सुरक्षा परिषद में भी सुधार करना चाहिए। तथा इसके सदस्यों के सख्यां में भी बढ़ोतरी करनी चाहिए ताकि भारत जैसे शांतिप्रिय देश को इसमें भागीदारी करने का अवसर प्रदान हो सके। जो देश वीटो पॉवर का लगातार दुरूप्रयोग कर रहें हैं उनको नियत्रिंत करने के लिए महासभा की शक्तियों में भी बढ़ोतरी करनी चाहिए ताकि सही समय पर महासभा विश्व में शांति व्यवस्था के लिए प्रयास कर सके।

संदर्भः-

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति-U.R. घई।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति- B.L. फड़िया।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति- A.C. कपूर।

अन्तर्राष्ट्रीय संगठन- क्रानिकल, उपकार प्रकाशन।

अन्तर्राष्ट्रीय संगठन- पुष्पेश पंत।

Corresponding Author

Amit Kumar*

Amit Kumar*

Research Scholar, Department of Political Science

E-Mail – amitkooper2004@gmail.com